



2026:AHC:65099

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7341 वर्ष 2026

आकांक्षा पटेल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : फरीद अहमद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री फरीद अहमद, श्री जे.पी. सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक आकांक्षा पटेल की ओर से दायर किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन साइबर अपराध, जिला बदायूं, विचारण के लंबित रहने के दौरान में दर्ज धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2),

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3(3), 61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा अपराध संख्या 12 वर्ष 2025 के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 50,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है, हालांकि, आवेदक को उसके बैंक खाते में कोई राशि नहीं मिली है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो 7.2.2026 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 50,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है, हालांकि, आवेदक को उसके बैंक खाते में कोई राशि नहीं मिली है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो 7.2.2026 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक-**आकांक्षा पटेल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो जमानतदारों के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या किसी पुलिस अधिकारी को या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) आवेदक (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत वक्तव्य दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

मार्च 26, 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”